न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 143/2022

1 फुलाराम दत्तक पुत्र भूराराम (मृतक)
1/1 मनोहरी देवी पत्नी स्व. फुलाराम उर्फ फुलचन्द
1/2 संग्राम सिंह पुत्र स्व. फुलाराम उर्फ फुलचन्द
1/3 रतनलाल पुत्र स्व. फुलाराम उर्फ फुलचन्द
1/4 सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. फुलाराम उर्फ फुलचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 13 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
1/5 लीला देवी पुत्री स्व. फुलाराम उर्फ फुलचन्द पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 3 हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
1/6 शान्ति पुत्री फुलाराम उर्फ फुलचन्द पत्नी हरलाल (मृतक)
1/6/1 पंकज कुमार बोला पुत्र हरलाल सिंह बोला
1/6/2 प्रीतम बोला पुत्र हरलाल सिंह बोला
1/6/3 प्रदीप कुमार पुत्र हरलाल सिंह बोला
1/6/4 रामप्रकाश पुत्र हरलाल सिंह बोला
1/6/5 पूनम बोला पुत्री हरलाल सिंह बोला
समस्त जाति जाट निवासीगण बोला की ढाणी तन बजावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र सम्पतराम
2 सज्जन पुत्र सम्पतराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

3 दयाचन्द पुत्र सम्पतराम

4 बूंटीराम पुत्र सम्पतराम

जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 15 खेड़ी मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।

5 भालाराम पुत्र महावीरप्रसाद

6 महिपाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 15 खेड़ी मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।

7 संतोष पुत्री सम्पतराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी बगड़ हाल नूनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

8 कमला पुत्री सम्पतराम पत्नी जगवीर जाति जाट निवासी बगड़ हाल गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

9 बिमला पुत्री सम्पतराम पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी बगड़ हाल गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

10 चूकि पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 खेड़ी मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।

11 उप पंजीयक झुन्झुनू।

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू।

13 नगरपालिका बगड़ जरिये अधिशाषी अभियन्ता।

रेस्पोडेंट

अपील अ. धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 212 आर.टी. एक्ट बमुकदमा उनवानी रामजीलाल आदि बनाम फुलाराम वगै. मु.नं. 125/2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने ग्राम बगड़ की भूमि खसरा नम्बर 670, ग्राम कायस्थपुरा की भूमि खसरा नम्बर 372, 399 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 फुलाराम के वारिसान की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पूर्वज फुलाराम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। विधि अनुसार रिकार्ड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

मामला सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य घोषणा का वाद विचाराधीन है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पिता जरिये वकील उपस्थिति थे। इसके उपरांत भी प्रस्तुत अपील 2 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य घोषणा का वाद विचाराधीन है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता जरिये वकील उपस्थिति थे। इसके उपरांत भी प्रस्तुत अपील 2 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर